


म्यागालम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बंगाल मैसरी रुद्र प्लाईवुड

प्रकरण संख्या 515/2019 (धारा 14 रिकॉमिंडाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
22.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वितीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।</p> <p>प्रार्थी वितीय संस्था/बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पत्र अधूरा है एवं आदिनांक तक संशोधित साक्ष्य पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही 13(2) के नोटिस की ट्रेकिंग भी प्रस्तुत नहीं की गई है।</p> <p>अतः धारा 14 सरकारी अधिनियम-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वितीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	